राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प.7(3)कार्मिक/क–2/95 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 27-09-2022

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.06.2022 द्वारा राज्य की सभी सेवाओं (राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा) के ऐसे पद, जिन पर पदौन्नति हेतु 3 वर्ष या अधिक का अनुभव वांछित हैं, पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–2023 के लिए एक वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया था, जो कि दिनांक 31.08.2022 तक मान्य था। उक्त परिपत्र के क्रम में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–2023 के लिए देय एक वर्ष के शिथिलन की अवधि को दिनांक 30.11.2022 तब बढ़ाया जाता है।

साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि जिन विभागों में वर्ष 2022–23 हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.06.2022 से पूर्व अथवा दिनांक 31.08.2022 के पश्चात अनुभव में 1 वर्ष के शिथिलन के बिना आयोजित की गई है एवं वांछित अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने से पद रिक्त रहे है, ऐसी डीपीसी अनुशंषाओं को 1 वर्ष के शिथिलन सहित दिनांक 30.11.2022 तक रिव्यू किया जा सकेगा।

27/9/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव